रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10082026-275331
CG-DL-W-10082026-275331

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जुलाई 26—अगस्त 1, 2026, शनिवार/ श्रावण 4—श्रावण 10, 1948
No. 26] NEW DELHI, JULY 26— AUGUST 1, 2026, SATURDAY/SHRAVAN 4— SHRAVAN 10, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (रसोइया) भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में रसोईया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, रसोइया, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
रसोइया।	7* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (1800 - 56900 रु.) ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
आयु 18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण-1 –** आयु - सीमा अवधारित करने	**आवश्यक :** (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी ख्यातिप्राप्त	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिविक्षा को सफलतापूर्वक

के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और नकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण-2** -रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	इकाई में रसोइए के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** कम से कम कोई तीन भिन्न प्रकार का भोजन बनाना आना चाहिए, जैसे दक्षिण भारतीय या उत्तर भारतीय या चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल या गुजराती वगैरह।		पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं, तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति) पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे :– 1. उप निदेशक – अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक – सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या श्रेणी-III – सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23011/06/2026-पीटी]

रंजीत कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th July, 2026

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Cook) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook, in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Cook, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	(2)	(3)	(4)
Cook.	7* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).

Whether selection post or non – selection post.	**Age- limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for departmental candidate	**Essential:** (a) 10^{th} class pass from a	Not applicable.

	up to forty years of age in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	recognised Board. (b) Three years' experience as Cook in a recognised Institution or any entity of repute. **Desirable:** Must be able to cook at least any three different types of cuisine like South Indian or North Indian or Chinese or Continental or Gujarati etc.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years. **Note**: There shall be a mandatory induction training of at least two-week duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director - Chairperson; 2. Assistant Director –Member; 3. Administrative Officer Grade-II or Grade-III - Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/06/2026-PT]

RANJIT KUMAR SHAW, Under Secy.